

तरकार

1-6 विभाग

जयपुर दिनांक 8.7.2004

क्रमांक: प. 644 राज-6/2001/9

समस्त जिला कलेक्टर्स ।

राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- भूमि की किस्म परिवर्तन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प0 3320 राज-4/77 पार्ट दिनांक 23-5-89 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि गैर मुम्किन ऐसी भूमि जिसे कृषि योग्य बना लिया गया है या जिस पर कृषि की जा रही है उसका नियमन/ आवंटन, आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अधीन किया जा सकता है परन्तु नियमन/ आवंटन से पूर्व पहले नियमानुसार आवंटित की जाने वाली भूमि का किस्म परिवर्तन किया जावे उसके बाद ही नियमानुसार आवंटन किया जावे ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर, राज0
2. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग

उप शासन सचिव